



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/प्रमोशन (NG)/ U/6745 दिनांक:-04.09.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-240/2018

विषय:-क्षेत्रीय रेलों पर कनिष्ठ अनुवादकों के पदों को भरने के संबंध में।

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I-2018/PM 11/1 दिनांक 20.08.2018, RBE No. 118/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	PC-VI/2008/I/5/2 Dated.13.09.2012	175/2012

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

(हफिज मोहम्मद)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

6535
31/08/18

24

E/R No- 240/2018

आर बी ई सं. 118/2018

SECR

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)-2018/पीएम11/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2018

महाप्रबंधक(कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ,
(मानक सूची के अनुसार)


विषय:- क्षेत्रीय रेलों पर कनिष्ठ अनुवादकों के पदों को भरने के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.09.2012 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/1/5/2 के अनुसार कनिष्ठ अनुवादक ग्रेड-पे रु.4200 लेवल-6 के 100% पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है। अब यह संज्ञान में आया है कि रेल भर्ती बोर्ड अनुवादकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की स्थिति में नहीं है। अतः इन पदों की 50% रिक्तियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने हेतु प्रस्ताव बोर्ड को प्राप्त हुआ है।

175/12

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि कनिष्ठ अनुवादकों के पदों की 50% रिक्तियों को उदार नियमों के तहत एकबारगी व्यवस्था के रूप में (as one time exception) सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें विभागीय उम्मीदवार आवश्यक पात्रता व मानदण्डों को पूर्ण करते हों, के द्वारा भरा जाए। (इसके द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 10.05.2018 के पत्र सं.पी-329/4/2 का निपटान हो जाता है)।

कृपया पावती दें।


(एम.के.मीना)

उप निदेशक स्था.(अराज)
रेलवे बोर्ड

CFO (IR)		Chairman (RBC)
Dy. CPO (HQ.)	Dy. CPO (CON.)	SPO (HRD)
SPO (RP)	SPO (GAZ.)	PS to CPO
SPO (HQ)	APO (Bills)	
PCPO		

3
31.8.18

CSM/1/18.